



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तारा

दिनांक-25.08.2024

दिनांक 24/25.08.2024 को थाना चिनहट 02, ठाकुरगंज 02, पीजीआई 01, तालकटोरा 01, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में थाना अलीगंज 01, बीबीडी 01 अभियुक्त गिरफ्तारा। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तारा।

डी0सी0पी0 उत्तरी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना महिगवां-दिनांक 25.08.2024 को उपनिरीक्षक श्री शंशाक शुक्ला थाना महिगवां द्वारा दौराने गश्त मय हमराही फोर्स अभियुक्त रूपन पुत्र स्व0 रामकृपाल निवासी ग्राम बीबीपुर थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष को ग्राम उसरना से बसेना जाने वाली पुलिया के पास ग्राम बसेना थाना महिगवां जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 20 पाउच देशी शराब मार्का विन्डीज 200 ml कुल 04 लीटर देशी शराब बरामद कर थाना महिगवां पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना कृष्णानगर-दिनांक 25.08.2024 थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती अर्चना सिंह निवासिनी म0नं0561/16 ए सिन्धुनगर थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर सूचना दी कि दिनांक 19.08.2024 को वादिनी के पास मोबाइल नम्बर 8414058296 से कॉल आया जिस पर बताया गया कि वादिनी का पार्सल आया है जो कस्टम के पास दिल्ली एयरपोर्ट पर है। उसे प्राप्त करने के लिए वादिनी को 45,000/- रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वादिनी को कॉल पर वादिनी का नाम पता व जिसके द्वारा भेजा गया उसका नाम भी वादिनी के जानने वाले का बताया गया। जिसके बाद वादिनी द्वारा पूछा गया कि यह भुगतान वादिनी को क्यों करना पड़ेगा। वादिनी को बताया गया कि यह कस्टम चार्ज लगता है। जिस पर विश्वास कर वादिनी द्वारा फोन पे के माध्यम से 45,000/- रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया गया। उसके बाद वादिनी के पास फिर कॉल आयी बताया गया कि इसमें बैग है और उसके अन्दर मुद्रा है। जिसे भारत की मुद्रा में बदलने के लिए 1,20,000/- रुपये का भुगतान करना पड़ेगा उसके बाद ये पैक आपको हम रिसीव करा देंगे। वादिनी द्वारा 1,20,000/- रुपये का पुनः भुगतान कर दिया गया। उसके बाद वादिनी के पास पुनः कॉल आयी और 2,50,000/- रुपये की धनराशि का भुगतान करने को कहा गया। तब वादिनी को लगा कि वादिनी के साथ ये साइबर ठगी की जा रही है। और वादिनी द्वारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर और साइबर क्राइम हजरतगंज कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी गयी। इस सूचना पर थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 385/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना चिनहट- दिनांक 25.08.2024 थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री राम सुरेश चौधरी निवासी ए-12 सपना सिटी नौबस्ता कला रोड निकट द बुड्स बिल्डिंग थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 23.08.2024 को समय करीब 01.00 बजे रात्रि को वादी की गाडी सुपर कैरी (मारुति सुजुकी) यूपी 32 एल0एन0 7045 वादी के निवास स्थान के पास से चोरी हो गयी। इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 394/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सरोजनीनगर- दिनांक 25.08.2024 थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनिल कुमार पुत्र भगौती प्रसाद निवासी भगौती भण्डार पिपरसण्ड रोड गौरी थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि वादी की किराना की दुकान भगौती किराना भण्डार पिपरसण्ड रोड गौरी चौराहा निकट सिंह स्वीट हाउस के बगल श्री गुल्लू सिंह (शिव कुमार सिंह) के यहां किराये पर लेकर दुकान चलाता है। दिनांक 23.08.2024 को समय करीब 11.00 से 12.00 बजे रात्रि के मध्य अज्ञात चोरो ने दुकान का शटर तोड़कर अन्दर घुसकर गल्ले से 60,000/- नगद चोरी कर लिये गये हैं। यह सूचना चौकीदार द्वारा फोन से मुझे दी गयी जाकर देखा तो शटर का ताला टूटा है और गल्ले से कैश गायब है। **इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 355/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पीजीआई- दिनांक 25.08.2024 थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री बुद्धि लाल यादव पुत्र स्व0 राम आसरे निवासी बाबू खेड़ा यादव कल्ली पश्चिम रायबरेली रोड थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 24.08.2024 को समय करीब 02.30 बजे सुबह कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घर की छत से आंगन के जरिए घुसकर वादी के मकान से एल0सी0डी0 टी0वी0,कीमती जेवरात व चार पहिया वाहन की चाभी चोरी कर ली गयी है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 593/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना कृष्णानगर-आज दिनांक 25.08.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि लोकबन्धु हॉस्पिटल लखनऊ से आज समय करीब 11.06 बजे सुबह में एक मेमों थाना स्थानीय पर इस आशय से भेजा गया कि श्री अरविन्द उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र राम आसरे निवासी आजाद नगर अमौसी थाना सरोजनीनगर लखनऊ को इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। अरविन्द उपरोक्त की बिजली के करंट लगने की वजह से मृत्यु हुई है। **इस सूचना पर उ0नि0 हरिशचन्द्र मो0नं0- 8423287014 थाना कृष्णानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि।** अरविन्द उपरोक्त बढई का कार्य करता था, जिसका एक पुत्र उम्र करीब 04 वर्ष का है। अरविन्द कुमार उपरोक्त थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत स्थित एल0पी0एस0 (लखनऊ पब्लिक स्कूल) में कार्य करने गया हुआ था कार्य करने के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए लोकबन्धु हास्पिटल ले जाया गया। जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।